

मध्यप्रदेश शासन
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग
मंत्रालय

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 02/12/2021

क्रमांक: एफ 5-1/2019 /अ-तेहत्तर : राज्य शासन एतद द्वारा निर्णय लिया गया कि -:

1 मध्यप्रदेश सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास नीति, 2021 के परिशिष्ट-1 अंतर्गत सुविधाओं के लाभ हेतु अपात्र सूची के बिन्दु क्रमांक 20 में संशोधन कर उसे निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जावे -

"सॉर्टेक्स प्लांट और फसलों/अनाज की सॉर्टिंग/ग्रेडिंग/सफाई (परंतु ऐसा सॉर्टेक्स प्लांट (ग्रेडिंग+सफाई सहित) जो ऐसी धान मिलिंग इकाई, जो मुख्यतः धान मिलिंग का कार्य करती है, के परिसर में स्थापित किया गया हो, को छोड़कर)"

2 नीति में उक्त संशोधन के दृष्टिगत मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना, 2021 को इस आशय तक संशोधित माना जावेगा।

3 उक्त आदेश अधिसूचना दिनांक से प्रभावी होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(पी. नरहरि)

सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

पृ. क्रमांक एफ 5-1/2019/अ-तेहत्तर

भोपाल दिनांक 02/12/2021

1. प्रमुख सचिव, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग/खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग/वित्त विभाग
2. उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. नियंत्रक शासन, मुद्रण एवं लेखन सामग्री मध्यप्रदेश भोपाल को राजपत्र में प्रकाशनार्थ।

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग